23/4 न्यायिक कार्य [illegible] रखने से पत्रावली दिनांक 14/5/24 को पेश हो।

14/5/24 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर रजि० एडी० से प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रूक-रूक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थीगण का शा-पत्र स्वीकार किया जाकर विज्ञप्ति पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:53:31 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर
अहलकार
हुक्म
में

राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

संख्या – 42/24 प्रा.पत्र

...ती केसर प०श्री छोगा रवारोल निवासी- धोड़ास तहसील- माण्डल [भीलवाड़ा]

–प्रार्थी

बनाम

राजेन्द्र s/o श्री नारायण बैरवा निवासी- धोड़ास तहसील - माण्डल (भीलवाड़ा)
(प्रहस्तांकित प्रा.पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:– 14.5.24

::आदेश::

...ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ...धोड़ास........पटवार हल्का........धोड़ास........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की ...० ....2384/53........कुल किता........01........रकबा........1.2899 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि ...गण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता ... जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

...ार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ....14.3.24........को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को ...ार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ... है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए ...की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

...ा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ....धोड़ास....पटवार ...धोड़ास........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. ....2384/53........ ...कता........01........रकबा........1.2899 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये ...तु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक....पीथास ...500........रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे ...ास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर ...ढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:53:31 IST
Reason: SelfAttested

...पि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा ... कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल